

आईएफसीआई लिमिटेड
(सीआईएन: L74899DL1993GOI053677)
नागरिक चार्टर

दृष्टिकोण तथा उद्देश्य

1. आईएफसीआई के बारे में

आईएफसीआई की स्थापना स्वतंत्र भारत के प्रथम विकास वित्तीय संस्थान के रूप में उद्योग को मध्यम तथा दीर्घावधि वित्त प्रदान करने के लिए वर्ष 1948 में "भारतीय औद्योगिक वित्त निगम", के नाम से की गई थी। वर्ष 1993 में आईएफसीआई अधिनियम के निरसन के बाद, आईएफसीआई कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बन गई। **वर्तमान में आईएफसीआई एक सरकारी कम्पनी है जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी में भारत सरकार की 71.72% की हिस्सेदारी है।** आईएफसीआई लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक में सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट नॉन-डिपॉजिट टेकिंग नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कम्पनी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के रूप में भी पंजीकृत है तथा यह कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(72) के अधीन सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में भी अधिसूचित है।

2. आईएफसीआई का दृष्टिकोण

"समग्र औद्योगिक तथा अवस्थापना क्षेत्रों के लिए अग्रणी विकास संस्थान बनना तथा देश की आर्थिक वृद्धि तथा विकास के लिए एक प्रभावी साझेदार बनना।"

3. आईएफसीआई का उद्देश्य

उद्योग तथा अवस्थापना क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए सर्वोत्तम कार्य-नीतियां बनाना तथा देश में चल रहे औद्योगिक तथा अवस्थापना विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करना। समग्र हिस्सेदारों की संतुष्टि के अनुरूप वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करते हुए एक प्रतिस्पर्धात्मक, ग्राहकोन्मुख तथा विकासोन्मुख संस्थान के रूप में कार्य करना।

4. हम दृष्टिकोण को पूरा करते हैं:

- ग्राहक की विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिश्र उत्पाद प्रदान करना, जिसका विवरण निम्नानुसार है:
- ✓ ऋणियों से निरन्तर और अनवरत् सम्बन्ध बनाने के लिए ग्राहक की अधिकतम संतुष्टि के

अनुरूप परम्परागत मिश्र उत्पाद

- ✓ ऐसा मिश्र उत्पाद बनाने की वचनबद्धता जो एक कारोबार/उद्योग क्षेत्र से दूसरे कारोबार/उद्योग क्षेत्र में परिवर्तित हो सके
- ✓ निगमित क्षेत्र की विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं पर आधारित बनाए गए संरचित ऋण उत्पाद
- ✓ ग्राहकों से समय संव्यवहारों में उचित तथा उपयुक्त रूप से कार्य करना
- ✓ उत्पादों और सेवाओं के बारे में स्पष्ट सूचना प्रदान करते हुए एकीकरण तथा पारदर्शिता के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार ग्राहकों से संव्यवहार
- ✓ ग्राहक के विवरण की निजता तथा गोपनीयता बनाए रखना और सुनिश्चित करना ।
- परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) और विभिन्न उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं (पीएलआई) और भारत सरकार की अन्य पहलों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करके, भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' और "डिजिटल इंडिया" व्यापक रूप से सहयोग देना ।

5. चार्टर का उपयोग

डिस्क्लेमर:

यह अधिकारों और दायित्वों का सृजन करने वाला एक विधिक प्रलेख नहीं है । इस चार्टर का उद्देश्य आईएफसीआई लिमिटेड और/या इसकी सहायक/सहयोगी कम्पनियों द्वारा प्रदान किए गए उत्पादों और सेवाओं के सम्बन्ध में उचित प्रक्रियाओं का प्रवर्तन करना है ।

6. आईएफसीआई का कारोबार

- आईएफसीआई का मुख्य कारोबार विनिर्माण, सेवाओं और अवस्थापना क्षेत्रों को मध्यम से दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है ।
- यह परियोजना विकास, परियोजना मूल्यांकन, नीतिगत विश्लेषण, निगमित पुनर्संरचना तथा कानूनी सलाह के लिए परामर्शकारी सेवाएं भी प्रदान करता है ।
- आईएफसीआई निम्नलिखित कार्य भी करता है:

क) आईएफसीआई निजी क्षेत्र में पावर को-जेनरेशन तथा एल्कोहल/इथानॉल के उत्पादन से सम्बन्धित परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और विकास के लिए चीनी विकास निधि ऋणों के अनुवर्तन के लिए नोडल एजेंसी है, और



आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

ख) अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, जिसके लिए भारत सरकार ने समाज के निम्न वर्ग में उद्यमीयता को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति के युवा और अपना उद्यम शुरू करने वाले उद्यमियों के लिए जिसके लिए बैंकों को ऋणों के मद्दे गारंटी देने के लिए 200 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं ।

ग) मई, 2017 में इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड आईटी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने आशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना के अधीन सीमित दावों के सत्यापन के लिए सत्यापन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया । इसके बाद एमईआईटीवाई ने दिनांक 28 नवम्बर, 2017 के अपने आदेश द्वारा आईएफसीआई लि. को एम-सिप्स के अधीन दावों के सत्यापन के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए सत्यापन एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए, जिसे अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, नियुक्त किया । भारत सरकार द्वारा इस योजना का प्रारम्भ इलेक्ट्रॉनिकी पद्धति डिजाइन व विनिर्माण में दीर्घावधि विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जुलाई, 2012 में किया गया।

घ) इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेंट्स व सेमीकंडक्टर के निर्माण के प्रवर्तन के लिए योजना हेतु प्रोजेक्ट मेनेजमेंट एजेंसी नियुक्त किया । इस योजना की लागत 3,285 करोड़ रुपए है और इस पर पात्र वस्तुओं के लिए प्रतिपूर्ति आधार पर पूंजी व्यय पर 25% का प्रोत्साहन दिया जाएगा । यह योजना प्रारम्भ में 3 वर्ष की अवधि के लिए 31/03/2023 तक आवेदकों के लिए खोली गई है और प्रोत्साहन राशि आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 5 वर्ष के अंदर किए गए निवेश के लिए उपलब्ध होगी ।

ङ) इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईएफसीआई लिमिटेड को प्रोजेक्ट मेनेजमेंट एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है, जो घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा तथा इलेक्ट्रिक कम्पोनेंट और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सहित इलेक्ट्रॉनिक में बड़े निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर विनिर्माण योजना के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना के लिए कार्य करेगी । इस योजना की लागत 40,951 करोड़ रुपए है और इसका प्रोत्साहन भारत में विनिर्मित पात्र उत्पादों के लिए वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष के बाद) पर 4% से 6% तक बढ़ाया जाएगा

च) भारत में महत्वपूर्ण की-स्टार्टिंग मटीरियल्स (KSMs) / ड्रग इन्टरमेडिएट्स (DIs) /एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना

इस योजना की अवधि 10 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2029-30) है जिसका परिव्यय 6,940 करोड़ रुपए है और योजना के अधीन स्थापित की गई ग्रीनफील्ड परियोजनाओं से विनिर्मित 41 चिन्हित केएसएम/डीआई/एपीआई उत्पादों (जिसमें 53 एपीआईज शामिल हैं) की बिक्री के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रस्ताव है। योजना की अवधि के दौरान विभिन्न खण्डों के लिए प्रोत्साहन की दर 5% से 20% तक है। योजना के मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में बड़े निवेशों को आकर्षित करना जिससे चिन्हित केएसएम, ड्रग इन्टरमेडिएट्स व एपीआईज के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन मिल सके और इसके परिणामस्वरूप भारत की 53 महत्वपूर्ण एपीआईज में आयात की निर्भरता को कम किया जा सके।

- छ) मेडिकल डिवाइसिस के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए पीएलआई योजना - इस योजना की अवधि 8 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2027-28) है जिसका परिव्यय 3,420 करोड़ रुपए है। इस योजना में भारत में निर्मित वस्तुओं पर 5% वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष के पश्चात्) का प्रोत्साहन दिया जाएगा और यह लक्षित उत्पादों के अधीन समाहित होगा तथा यह पांच वर्षों की अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में बड़े निवेशों को आकर्षित करना व घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
- ज) आईएफसीआई को बल्क ड्रग पार्कों के प्रवर्तन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है: योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:
- (i) देश में बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना को बढ़ावा देने व विश्व स्तर के सामान्य अवस्थापना सुविधाओं (CIF) की आसान पहुँच प्रदान करने के लिए पार्क में स्थित बल्क ड्रग यूनिट्स में बल्क ड्रग्स की विनिर्माण लागत को उल्लेखनीय रूप से कम करने और इस तरह से भारत को आत्मनिर्भर बनाने, घरेलू थोक दवा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर थोक दवाओं में निर्भरता और
- (ii) उद्योग को सामान्य अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के नवीन तरीकों के माध्यम से कम लागत पर पर्यावरण के मानकों को पूरा करने में मदद करना।



आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

- (iii) वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पांच वर्ष की अवधि के लिए कुल 3,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ योजना के अधीन तीन बल्क ड्रग पार्कों को सहायता प्रदान की जाएगी ।
- (झ) मेडिकल डिवाइसिस पार्कों का प्रवर्तन- योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं -
- विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का सृजन जिससे भारतीय मेडिकल डिवाइस उद्योग को वैश्विक लीडर बनाया जा सके।
 - विश्व स्तरीय सामान्य अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से मानक परीक्षण और बुनियादी सुविधाओं के लिए आसान पहुँच बढ़ेगी जोकि बड़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता के परिणामस्वरूप घरेलू उपकरणों की बेहतर उपलब्धता साथ ही उनकी लागत में उल्लेखनीय कमी लाएगी ।
 - संसाधनों और अर्थव्यवस्थाओं के स्तर के अनुकूलन के कारण उत्पन्न होने वाले लाभों का उपयोग करना ।
 - वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पांच वर्ष की अवधि के लिए कुल 400 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ योजना के अधीन चार मेडिकल डिवाइसिस पार्कों को सहायता प्रदान की जाएगी ।
- ट) उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग. योजना का उद्देश्य वैश्विक दृश्यता के लिए खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को मजबूत करना, निवेश बढ़ाना, फलों, सब्जियों और जल्दी खराब होने वाले घरेलू कच्चे माल के उपयोग को बढ़ावा देना और चुनिंदा एसएमई अभिनव/जैविक खाद्य उत्पादों का समर्थन करके वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियन बनाने में सहायता करना है। योजना का कार्यकाल FY2021-22 से FY2027-28 तक 8 वर्ष है, जिसका कुल परिव्यय ₹10,790 करोड़ है।
- ठ) भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा आईटी हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (PLI) स्कीम 2.0 के लिए IFCI को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी (PMA) के रूप में नियुक्त किया गया है। इस योजना का कार्यकाल 6 वर्ष है और इसका परिव्यय ₹17,000 करोड़ है। आवेदकों के पास वित्तीय वर्ष 2024 से वित्तीय वर्ष 2026 तक प्रोत्साहन के शुरुआती वर्ष का विकल्प चुनने का विकल्प है।

- इसलिए, प्रभावी रूप से योजना का कार्यकाल FY24-FY32 है। पीएलआई आईटीएचडब्ल्यू 2.0 योजना भारत में निर्मित और लक्ष्य खंड के अंतर्गत आने वाले सामानों की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष पर) पर ~ 5% (घटकों/उप-असेंबली के स्थानीयकरण के आधार पर) का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। योजना का मुख्य उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करना है। योजना के तहत लक्ष्य खंड में (i) लैपटॉप (ii) टैबलेट (iii) ऑल-इन-वन पीसी और (iv) सर्वर और (v) यूएसएफएफ (अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर) शामिल हैं।
- ड) कपड़ा के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना - पीएलआई योजना का उद्देश्य देश में एमएमएफ परिधान और कपड़े और तकनीकी कपड़ा उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देना है ताकि कपड़ा उद्योग को आकार और पैमाने हासिल करने में सक्षम बनाया जा सके; विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना और लोगों के लिए रोजगार के अवसरों का निर्माता बनना। यह योजना एक व्यवहार्य उद्यम और प्रतिस्पर्धी कपड़ा उद्योग के निर्माण का समर्थन करने के लिए है। योजना के तहत प्रोत्साहन 5 साल की अवधि के लिए उपलब्ध होगा, यानी वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 के दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 के दौरान प्राप्त वृद्धिशील कारोबार पर ₹10,683 करोड़ के बजटीय परिव्यय सहित।
- ढ) ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना - पीएलआई योजना भारत में ड्रोन और ड्रोन घटकों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए है ताकि उन्हें आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत को ड्रोन के अनुसंधान और विकास, परीक्षण, विनिर्माण और संचालन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए, ड्रोन के लिए विकास-उन्मुख नियामक ढांचा बनाने के लिए उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 जारी किए गए थे। योजना के तहत प्रोत्साहन 3 साल की अवधि के लिए उपलब्ध होगा यानी वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान योग्य मूल्य संवर्धन [ईवीए] पर वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹120 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ।
- त) भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन लिंकड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए आईएफसीआई को परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में नियुक्त किया गया

है। इस योजना का कार्यकाल 5 वर्ष (वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27) है, जिसका परिव्यय ₹25,938 करोड़ है। योजना में दो भाग शामिल हैं:

- i) चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन योजना - यह योजना भारत में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी वाहनों के निर्माण के लिए 13-18% का प्रोत्साहन बढ़ाएगी।
- ii) कंपोनेंट चैंपियन प्रोत्साहन योजना - यह योजना भारत में एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स के निर्माण के लिए 7.2-18% का प्रोत्साहन देगी।

योजना का मुख्य उद्देश्य लागत संबंधी बाधाओं पर काबू पाना, पैमाने की अर्थव्यवस्था बनाना और उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के क्षेत्रों में एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना शामिल है।

- थ) भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आईएफसीआई को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना - उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए पीएमए के रूप में नियुक्त किया गया है। इस योजना का कार्यकाल 7 वर्षों का है, जिसका परिव्यय ₹18,100 करोड़ है। इस योजना में एसीसी के लिए पचास (50) गीगावॉट की संचयी एसीसी विनिर्माण क्षमता स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। प्रोत्साहन केवल उन्हीं फर्मों को दिया जाएगा जिन्हें अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) आमंत्रित करके एक पारदर्शी तंत्र के माध्यम से कार्यक्रम के तहत एसीसी उत्पादन क्षमता आवंटित की गई है। लाभार्थी फर्म को न्यूनतम पांच (5) गीगावॉट एसीसी विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। सरकार द्वारा वितरित की जाने वाली कुल वार्षिक नकद सब्सिडी प्रति लाभार्थी फर्म 20GWh पर सीमित होगी। चयनित लाभार्थी फर्म को 2 साल की अवधि के भीतर आरएफपी के तहत आवंटित विनिर्माण सुविधा स्थापित करनी होगी और उसके बाद 5 साल की अवधि में सब्सिडी वितरित की जाएगी। इस योजना के माध्यम से, भारत सरकार का इरादा अधिकतम मूल्यवर्धन और गुणवत्ता उत्पादन पर जोर देने और पूर्व-परिभाषित क्षमता स्तर को प्राप्त करने के साथ गीगा-स्केल एसीसी विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए घरेलू और विदेशी दोनों संभावित निवेशकों को सर्वोत्तम रूप से प्रोत्साहित करना है। समय सीमा।

- द) आईएफसीआई लिमिटेड को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को बढ़ावा देने के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के रूप में नियुक्त

किया गया है। व्हाइट गुड्स (एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स) का घरेलू विनिर्माण, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और व्हाइट गुड्स विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसके प्रमुख

उद्देश्यों में क्षेत्रीय अक्षमताओं को दूर करना, पैमाने की अर्थव्यवस्था बनाना, निर्यात बढ़ाना, एक मजबूत घटक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और रोजगार सृजन शामिल है। इस योजना का परिव्यय ₹6,238 करोड़ है और यह भारत में निर्मित पात्र वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष पर) पर 4% से 6% तक प्रोत्साहन बढ़ाएगा।

आईएफसीआई लिमिटेड को राष्ट्रीय कौशल विकास निधि (एनएसडीएफ), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की निगरानी के लिए एनएसडीएफ में एक स्वतंत्र निगरानी एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है एनएसडीसी की गतिविधियां एनएसडीएफ के उद्देश्यों के अनुरूप हैं और एनएसडीएफ और एनएसडीसी के बीच निवेश प्रबंधन समझौते (आईएमए), ट्रस्ट डीड और गैर-बैंकिंग वित्तीय पर आरबीआई नियमों के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

- आईएफसीआई ने संस्थानात्मक विकास में मुख्य भूमिका अदा की है और विभिन्न संगठनों जैसे टूरिज्म फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (टीएफसीआई), एसेट केयर एण्ड रिकंस्ट्रक्शन इन्टरप्राइज लि. (एसीआरई), इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट फाइनेंस कम्पनी लि. (आईडीएफसी), पॉवर ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड (पीटीसी), क्लीयरिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. (सीसीआईएल), जीआईसी हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड, सिक्युरटीज ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एसटीसीआई), नॉर्थ ईस्टर्न डिवेलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (एनईडीएफआई), दि ओटीसी एक्सचेंज ऑफ इण्डिया (ओटीसीईआई), इकरा लिमिटेड (पहले इन्वेस्टमेंट इन्फारमेशन एण्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आफ इण्डिया लि. के रूप में ज्ञात), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), टैक्नीकल कंस्ट्रेंसी आर्गनाइजेशन (टीसीओज) तथा सामाजिक क्षेत्र संस्थान जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि (आरजीवीएन), प्रबन्ध विकास संस्थान (एमडीआई) तथा इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डिवेलपमेंट (आईएलडी) को प्रवर्तित किया।
- आईएफसीआई ने अपने क्रियाकलापों को सहायक एवं सहयोगी कम्पनियों के माध्यम से आवासीय एवं वाणिज्यिक क्षेत्र, ब्रोकिंग, वेंचर कैपिटल, वित्तीय सलाहकारी, स्टॉक ब्रोकिंग,



आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

डिपॉजिटरी सेवाएं, फैक्ट्रिंग आदि के रूप में अवस्थापना विकास में विविधता दी है।

सहायक कम्पनियां

आईएफसीआई की निम्नलिखित छः सहायक कम्पनियां हैं:

1. स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल)
2. आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल)
3. आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (आईवीसीएफ)
4. आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल)
5. आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसिज लिमिटेड (आईफिन)
6. एमपीकॉन लिमिटेड

स्टेप डाऊन सहायक कम्पनियां

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित आईएफसीआई की निम्नलिखित सात स्टेप डाऊन सहायक कम्पनियां हैं:

1. आईआईडीएल रियल्टर्स प्रा. लिमिटेड
2. आईफिन सिक्युरिटीज फाइनेंस लिमिटेड
3. आईफिन कमोडिटीज लिमिटेड
4. आईफिन क्रेडिट लिमिटेड
5. एसएचसीआईएल सर्विसिज लिमिटेड
6. स्टॉक होल्डिंग डाक्यूमेंट मेनेजमेंट सर्विसिज लिमिटेड
7. स्टॉक होल्डिंग सिक्युरिटीज आईएफएससी लिमिटेड

सहयोगी कम्पनियां:

आईएफसीआई की एक सहयोगी कम्पनी अर्थात् किटको लि. है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित तकनीकी परामर्शकारी संगठन हैं:

उक्त के अतिरिक्त, भारत सरकार ने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन (एएसआईआईएम), पिछड़े वर्गों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफबीसी) सहित अनुसूचित जातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफएससी) जैसे विभिन्न फंड योजनाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सीनियर केयर ग्रोथ इंजन (एसएजीई फंड) और जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफएसटी)। इन फंड योजनाओं का



आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रबंधन आईएफसीआई लिमिटेड की एक सहायक कंपनी द्वारा किया जा रहा है। आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड। एसआईआईएम, वीसीएफबीसी और वीसीएफएसटी सहित वीसीएफएससी एक वैकल्पिक निवेश कोष है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और पिछड़ा वर्ग (बीसी) के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। और उन्हें रियायती वित्त प्रदान करना है, जबकि, सीनियर केयर ग्रीन इंजन (एसजीई फंड) बुजुर्ग देखभाल क्षेत्र में काम करने वाले उभरते उद्यमियों का समर्थन करने और समाज के सभी वर्गों के लिए लागू करने के उद्देश्य से आता है।

वर्तमान में, 31.12.2024 तक वीसीएफएससी फंड के तहत कुल राशि ₹750 करोड़ है, जिसमें से आईएफसीआई ने ₹80.52 करोड़ प्रदान किए हैं और शेष ₹669.47 करोड़ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं (कुल ब्याज की पूलिंग के माध्यम से कॉर्पस में ₹ 92.99 करोड़ का योगदान शामिल है)।

31.12.2024 तक, पिछड़े वर्गों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफबीसी) के तहत कुल राशि ₹200 करोड़ है, जिसमें से, आईएफसीआई वेंचर ने ₹10 करोड़ प्रदान किए हैं और शेष ₹190 करोड़ सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए हैं। अधिकारिता (MoSJE), भारत सरकार (भारत सरकार) (कुल कोष में ब्याज की पूलिंग के माध्यम से ₹ 21.31 करोड़ का योगदान शामिल है)।

सेज फंड में, 31.12.2024 तक वर्तमान राशि ₹21.52 करोड़ है, जिसमें से IFCI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड ने ₹1 करोड़ प्रदान किए हैं, आईएफसीआई वेंचर ने ₹52.50 लाख प्रदान किए हैं जबकि शेष राशि ₹20 करोड़ की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

31.12.2024 तक अनुसूचित जनजातियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड (वीसीएफएसटी) का वर्तमान कोष ₹21.52 करोड़ है, जिसमें से ट्राइफेड ने ₹1 करोड़ प्रदान किया है, आईएफसीआई वेंचर ने ₹0.52 करोड़ प्रदान किया है जबकि शेष राशि ₹20 करोड़ की जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है।

आईएफसीआई के उत्पादों और सेवाओं के विवरण हमारी वेबसाइट www.ifcilt.com पर उपलब्ध हैं ।



आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

7. हमारे ग्राहक

अवस्थापना, विनिर्माण, सेवाएं, अचल सम्पदा, कृषि आधारित और अन्य विविध क्षेत्रों सहित विभिन्न उद्योग/क्षेत्रों की कम्पनियां ।

8. हम ग्राहकों से क्या आशा रखते हैं

- सूचना की घोषणा और प्रस्तुतीकरण, जब भी अपेक्षित हो, में ईमानदारी ।
- अपने ग्राहक को जानिए सूचना के अधीन निर्धारित नियामक अपेक्षाओं और काले धन को वैध न बनाने सम्बन्धी दिशानिर्देशों का पालन ।
- ऋण को उसी कार्य में उपयोग करना जिसके लिए उसे लिया गया है ।
- प्रदान की गई वित्तीय सहायता के निबन्धनों और शर्तों का ईमानदारी से पालन करना ।
- शिकायतों को, यदि कोई हों, हमारी शिकायत निपटान प्रणाली की मार्फत हमारी वेबसाइट पर हमारे समाधान के लिए डालना ।
- हमारी सेवाओं के सुधार के लिए और नए आयाम जोड़ने के लिए अपने कीमती फीड बैक देना ।

9. आचार-नीति

- व्यावसायिक, कुशल तथा विनम्र तरीके से सेवाएं प्रदान करना ।
- धर्म, जाति, लिंग, वंश या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव न करना ।
- ऋण उत्पादों के विज्ञापन तथा मार्केटिंग करने में निष्पक्ष तथा ईमानदार रहना ।
- संगठन के अंदर शिकायत निवारण कक्ष की स्थापना करके ग्राहकों के झगड़ों या मतभेदों का नेकनीयत से निपटान करने का प्रयास करना ।
- सभी नियामक अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन करना ।

10. शिकायत निवारण प्रणाली

आईएफसीआई ने अपनी वेबसाइट पर शिकायत के ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की है । तथापि, गुमनाम शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा । ऑनलाइन शिकायत प्रणाली ग्राहकों, निवेशकों, कर्मचारियों (विद्यमान तथा सेवानिवृत्त दोनों) को उनकी शिकायतों को दर्ज करने, शिकायत स्थिति को ट्रैक करने तथा आईएफसीआई लि. से उत्तर प्राप्त करने के लिए उपलब्ध होगी ।

शिकायत दर्ज करने के लिए लिंक: <https://ifcilttd.com/grievance/>

ई-मेल आईडी: hod.ccd@ifcilttd.com



आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

आईएफसीआई की सहायक कम्पनियों तथा सहयोगी कम्पनियों के नागरिक चार्टर के लिए कृपया सम्बन्धित कम्पनियों की वेबसाइट देखें, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

सहायक कम्पनियां

- 1. स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) - www.shcil.com
- 2. आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट लिमिटेड (आईआईडीएल) - www.iidlindia.com
- 3. आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (आईवीसीएफ) - www.ifciventure.com
- 4. आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड (आईएफएल) - www.ifcifactors.com
- 5. आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसिज लिमिटेड (आईफिन) - www.ifinltd.in
- 6. एमपीकॉन लिमिटेड - www.mpconsultancy.org

सहयोगी कम्पनियां

1. किटको लिमिटेड - www.kitco.in

निवेशक शिकायत तंत्र

क) इक्विटी में निवेशों से सम्बन्धित किसी शिकायत के लिए निवेशकों को सूचित किया जाता है कि भौतिक तथा डी-मैट धारिता के लिए वे नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित रजिस्ट्रार से अपना फोलियो नं./डीपी तथा क्लायंट आईडी देते हुए सम्पर्क कर सकते हैं :

एमसीएस (MCS) शेयर ट्रांसफर एजेंट लि.

एफ- 65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस 1, नई दिल्ली 110020

टेलिफोन नं. 011 41406149, 51 व 52

ईमेल आईडी 1: admin@mcsregistrars.com

ईमेल आईडी 2: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com

ईमेल आईडी 3: helpdeskreply@mcsregistrars.com

निवेशक आईएफसीआई में निम्नलिखित नोडल अधिकारी से भी सम्पर्क कर सकते हैं:

नोडल अधिकारी

सुश्री शर्मिला छिकारा, सहायक महाप्रबन्धक,

निवेशक शिकायत कक्ष, आईएफसीआई लि.

आईएफसीआई टावर, 61, नेहरु प्लेस,

नई दिल्ली - 110019; ईमेल : sharmila.chhikara@ifcilttd.com



आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

ख) आईएफसीआई के विभिन्न बांडों/डिबेंचरों में निवेश से सम्बन्धित किसी शिकायत के लिए निवेशकों को सूचित किया जाता है कि वे निम्न विवरण के अनुसार सम्बन्धित रजिस्ट्रारों से सम्पर्क करें:

बांड सीरीज	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट का नाम	पता	सम्पर्क अधिकारी	सम्पर्क नं.	ई-मेल आईडी
इन्फ्रा I व II	मैसर्स बीटल फाइनेंशियल एण्ड कम्प्यूटर्स सर्विसिज (प्रा) लिमिटेड	बीटल हाऊस, तीसरी मंजिल, 99 मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली - 110 062	श्री एस पी गुप्ता/श्री संजय रस्तोगी	011-29961281/82/83 011-26051061/62	ifci@beetalfinancial.com omspgupta123@gmail.com www.beetalfinancial.com omifcibonds5@gmail.com
इन्फ्रा III, IV, V व आईएफसीआई एनसीडी का ट्रेच I व II	केफिन टेक्नोलॉजीस प्रा. लि.	सिलेनियम टावर बी, प्लॉट नं. 31 व 32, गाची बाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, ननकरामगुड़ा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद-500 032	श्री उमेश पाण्डेय/ श्री राजशेखर पोलीशेट्टी	040-67162222	umesh.pandey@kfintech.com comeinward.ris@kfintech.com polishetty.rajshekar@kfintech.com www.kfintech.com
उप-बांड सीरीज I व III	लिंक इन्टाइम इण्डिया प्रा. लि.	सी-101, 247, पार्क एलबीएस मार्ग, विखरौली (वेस्ट), मुम्बई - 400 083	श्री धन्जजोधालेश्री अजित पटानकर	022 49186270 एक्सटेंशन: 2106	bonds.helpdesk@linkintime.co.in
फैमिली बांड	एमसीएस (MCS) शेयर ट्रांसफर एजेंट लि.	एफ- 65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस 1, नई दिल्ली 110 020	श्री बीएमएस नेगी श्री नरेंद्र नेगी	011-41406149/50/ 51	helpdeskdelhi@mcsregistrars.com bonds@mcsregistrars.com

शिकायतों के निपटानों पर संतुष्टि न होने के मामले में बांड/डिबेंचर धारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित नोडल अधिकारी से सम्पर्क करें जो उनकी शिकायतों को 7 कारोबारी दिनों के अंदर निपटाएगा:

आईएफसीआई में बांड-वार नोडल अधिकारियों के विवरण निम्नानुसार हैं:

इन्फ्रा बांडों व सार्वजनिक गैर संपरिवर्तनीय डिबेंचरों, टियर II बांडों (सीरीज I व III) तथा फैमिली बांडों के सम्बन्ध में -

- ✓ सुश्री मेघना वर्मा, सहायक महाप्रबन्धक
 - ✓ श्री आशुतोष वर्मा, प्रबन्धक
- [ई-मेल:infrabonds@ifcilt.com](mailto:infrabonds@ifcilt.com), ifcipublicissue@ifcilt.com
ifcitier2bonds@ifcilt.com तथा familybonds@ifcilt.com

- अन्य निजी धारित बांडों व टियर II बांडों (सीरीज II,IV,V) के सम्बन्ध में -
श्री आशुतोष वर्मा, प्रबन्धक
ई-मेल: ppbonds@ifcilt.com

शिकायत का उत्तर 3 कारोबारी दिनों के अंदर दिया जाएगा । यदि शिकायत का उत्तर 7 कारोबारी दिनों के अंदर नहीं प्राप्त होता, निवेशक नीचे दिए गए बॉण्ड अनुपालन अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं -

- ✓ सुश्री शिखा गुप्ता, उप महाप्रबन्धक
ई-मेल: bondscomplianceofficer@ifcilt.com

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आईएफसीआई में सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन प्राप्त आवेदनों के लिए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ)/केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारियों (सीएपीआईओ) तथा अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया गया है । आवेदकों को निर्धारित समय सीमा के अंदर सूचना दी जाती है । आवेदक, जो दी गई सूचना से संतुष्ट न हों या जिन्हें समय पर सूचना प्राप्त नहीं हुई है, वे निर्धारित समय अवधि के अंदर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं । सीपीआईओ/सीएपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी के नाम तथा अन्य आवश्यक विवरण आईएफसीआई की वेबसाइट पर डाले गए हैं और परिवर्तन होने पर इन्हें अद्यतन किया जाता है ।



आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

हमारा पता

आईएफसीआई लि.

आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस,

नई दिल्ली - 110019

वेबसाइट: www.ifcilttd.com

टेलीफोन: +91-11-41792800, 41732000, 26487444

फैक्स नं. +91-11-26230201

आईएफसीआई के निम्नलिखित स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय हैं

<p>आईएफसीआई हैदराबाद कार्यालय तारामंडल कॉम्प्लेक्स, (8वां तल) 5-9-13 सैफाबाद, हैदराबाद, पिन - 500 004 फ़ोन: 040- 66623642/43/44 फैक्स नं. : 040- 23241138</p>	<p>आईएफसीआई कोलकाता कार्यालय डीबी 3 सैक्टर 1, साल्ट लेक, बिधाननगर कोलकाता, पिन - 700 064 फ़ोन: +91 97484 21347</p>
<p>आईएफसीआई मुम्बई कार्यालय यूनिट नम्बर 307/314 तीसरा तल ट्रेड वर्ल्ड, सी- विंग कमला मिल्स कम्पाउन्ड, लोअर परेल(डबल्यू) मुम्बई, पिन - 400 013 फ़ोन: 022- 6129 3400</p>	

IFCI Ltd.
(CIN L74899DL1993GOI053677)
Citizen's Charter

Vision & Mission

1. What we are

IFCI Limited (IFCI) was set up in 1948 as "The Industrial Finance Corporation of India", a Statutory Corporation & independent India's first Development Financial Institution for providing medium and long term finance to the industry. In 1993, after repeal of the IFCI Act, IFCI became a Public Limited Company, registered under the Companies Act, 1956. **IFCI is a Government Company with Government of India holding 72.57% share in its paid-up capital.** IFCI is also registered with the Reserve Bank of India (RBI) as a Systemically Important Non-Deposit taking, Non-Banking Finance Company (NBFC-ND-SI) and also a notified Public Financial Institution under Section 2(72) of the Companies Act, 2013. IFCI is also listed on BSE and NSE.

2. IFCI's Vision

"To be the leading development institution for industrial and infrastructure sectors across the spectrum and be an influential partner in country's economic growth and development".

3. IFCI's Mission

To adopt the best practices in financing industry and infrastructure sectors and leverage core competencies in promoting sustainable industrial and infrastructure development in the country. To act as a competitive, customer-friendly and development-oriented organization, delivering financial products and services to the satisfaction of all its stakeholders.

4. We fulfill the vision

- By providing advisory services and structured product mix to meet various financial requirements of corporate customers as given below:
 - ✓ Customized product-mix to maximize customer satisfaction for building, enduring and sustaining relationships with the borrowers.
 - ✓ Commitment to devise a product mix offering which varies from one business/industry segment to another.
 - ✓ Structured Debt products based on the specific requirements of corporates.

- ✓ To act fairly and reasonably in all our dealings with the customers.
 - ✓ Dealings with the customers rest on ethical principles of integrity and transparency by providing clear information about products and services.
 - ✓ Ensuring and maintaining privacy and confidentiality of the Customer's data.
- By contributing towards '**Make in India**' and "**Digital India**" Program of the Government of India, through acting as Project Management Agency (PMA) and nodal agency for various Production Linked Incentive schemes (PLIs) and other initiatives of the Government of India.

5. Application of Charter

Disclaimer:

This is not a legal document and does not give rise to any rights and/or obligations. The purpose of this Charter is to promote fair practices with respect to the products and services offered /provided by IFCI Limited and /or its subsidiaries and associates.

6. Business of IFCI

- The primary business of IFCI is to provide medium to long term financial assistance to the manufacturing, services and infrastructure sectors.
- It also provides advisory services for Project Development, Project Appraisal, Strategic Analysis, Monitoring Agency, Business Valuation, Due Diligence, Bid Process Management, Corporate Restructuring and Legal Advisory, etc.
- Further:-
 - a) IFCI has been the Nodal Agency for monitoring of **Sugar Development Fund (SDF)** loans for projects related to modernization and expansion, co-generation of power and production of alcohol/ethanol in the private sector.
 - b) IFCI has been the nodal agency for implementing the **Credit Enhancement Guarantee Scheme for Scheduled Castes**, for which Government of India has provided Rs.200 crore, through guarantee to banks against loans to entrepreneurs belonging to scheduled castes with an objective to encouraging entrepreneurship in lower strata of the society.
 - c) IFCI, since May, 2017, has been the **Verification Agency** for verification of claim applications under **Modified Special Incentive Package Scheme (M- SIPS)** of Ministry of Electronics & IT (MeitY). The scheme was launched by Government of India in July, 2012 with a view to promoting large scale manufacturing in the Electronics System Design & Manufacturing (ESDM).

- d) IFCI has been appointed as the **Project Management Agency (PMA)** for the **Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronics Components and Semiconductors (SPECS)** by Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), Government of India. The Scheme has an outlay of ₹3,285 crore and shall provide an incentive of 25% on capital expenditure for eligible goods on reimbursement basis. Under the Scheme incentive will be available for investment made within 5 years from the date of acknowledgement of the application.
- e) IFCI has been appointed by **Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY)** to act as the **Project Management Agency (PMA) for Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Large Scale Manufacturing Scheme**, aimed at boosting domestic manufacturing and attracting large investment in electronics value chain including electric component and semiconductor packaging. The Scheme has an outlay of ₹40,951 crore and shall extend incentive of 4% to 6% on incremental sales (over base year) of eligible goods manufactured in India.
- f) **Production Linked Incentive (PLI) Scheme** for promotion of domestic manufacturing of critical **Key Starting Materials (KSMs)/ Drug Intermediates (DIs)/ Active Pharmaceutical Ingredients (APIs)** in India - The scheme has a tenure of 10 years (From FY2020-21 to FY2029-30) with an outlay of ₹6,940 crore and proposes to provide financial incentive on sale of 41 identified KSM/DI/API products (which covers 53 APIs), manufactured from Greenfield Projects set-up under the Scheme. The rate of incentive ranges from 5% to 20% for different segments over the tenure of the scheme. The main objective of the scheme is to boost domestic manufacturing of identified KSMs, Drug Intermediates and APIs by attracting large investments in the sector and thereby reduce India's Import dependence in 53 critical APIs.
- g) **Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Promoting Domestic Manufacturing of Medi**
- h) **call Devices** - The Scheme has a tenure of 8 years (FY2020- 21 to FY2027-28) with an outlay of ₹3,420 crore. The Scheme shall extend incentive of 5% on incremental sales (over base year) of goods manufactured in India and covered under Target segments, for a period of five years i.e. from FY2022-23 to FY2026-27. The main objective of the scheme is to boost domestic manufacturing and attract large investments in the Medical Devices Sector.
- i) IFCI has been appointed as a **Project Management Agency** for **Promotion of Bulk Drug Parks**. The objectives of the Scheme are as under:
- To promote setting up of bulk drug parks in the country for providing easy access to world class Common Infrastructure Facilities (CIF) to bulk drug units located in the park in order to significantly bring down the

- manufacturing cost of bulk drugs and thereby make India self-reliant in bulk drugs by increasing the competitiveness of the domestic bulk drug industry, and
- ii. To help industry meet the standards of environment at a reduced cost through innovative methods of common waste management system.
 - iii. Three bulk drug parks will be supported under the scheme with total outlay of ₹3,000 crore for Five years duration.
- j) **Promotion of Medical Devices Parks.** The objectives of the Scheme are as under:
- i. Creation of world class infrastructure facilities in order to make Indian medical devices industry a global leader.
 - ii. Easy access to standard testing and infrastructure facilities through creation of world class Common Infrastructure Facilities for increased competitiveness and which would result in significant reduction of the cost of production of medical devices leading to better availability and affordability of medical devices in the domestic market.
 - iii. Exploit the benefits arising due to optimization of resources and economies of scale.
 - iv. Four Medical Devices Parks will be supported under the Scheme and the total financial outlay is ₹400 crore between the Scheme duration of 5 years.
- k) **Production Linked Incentive Scheme, Food Processing Industry.** The objective of the scheme is to support creation of global food manufacturing champions by strengthening Indian brands of food products for global visibility, increasing investments, promoting use of domestic raw materials like fruits, vegetables & perishables and support selective SME innovative/organic food products to become champions. The tenure of the scheme is 8 years from FY2021-22 to FY2027-28 with a total outlay of ₹10,790 crore.
- l) IFCI has been appointed as **Project Management Agency (PMA) for Production Linked Incentive (PLI) Scheme 2.0 for IT Hardware**, by **Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), Government of India**. The Scheme has a tenure of 6 years with an outlay of ₹17,000 crore. The applicants have the option to opt for starting year of incentive from FY2024 to FY2026. Therefore, effectively the scheme tenure is FY2024-FY2032. The PLI ITHW 2.0 Scheme extends an average incentive of ~ 5% (based on localisation of components/sub-assemblies) on net incremental sales (over base year) of goods manufactured in India and covered under the target segment. The main objective of the Scheme is to boost domestic manufacturing and attract large investments in the value chain. The Target Segment under the scheme includes (i) Laptops (ii) Tablets (iii) All-in-One PCs and (iv) Servers, and (v) USFF (Ultra Small Form Factor).
- m) **Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Textiles** - The PLI Scheme is intended to promote production of MMF Apparel & Fabrics and Technical Textiles products



LIMITED

आई एफ सी आई लिमिटेड

(A Government of India Undertaking)

(भारत सरकार का उपक्रम)

in the country to enable textile industry to achieve size and scale; to become globally competitive and a creator of employment opportunities for people. The scheme is to support creation of a viable enterprise and competitive textile industry. Incentives under the scheme will be available for 5 years period i.e. during FY2025-26 to FY2029-30 on incremental turnover achieved during FY2024-25 to FY2028-29 with a budgetary outlay of ₹10,683 crore.

- n) IFCI has been appointed as **Project Management Agency (PMA) for Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile and Auto Component Industry by Ministry of Heavy Industries (MHI), Government of India**. The Scheme has tenure of 5 years (FY 2022-23 to FY 2026-27) with an outlay of ₹25,938 crore. The Scheme consists of two parts:

- i. Champion OEM incentive scheme - The Scheme shall extend incentive of 13-18% for manufacturing Advanced Automotive Technology Vehicles in India.
- ii. Component Champion incentive scheme - The Scheme shall extend incentive of 7.2-18% for manufacturing Advance Automotive Technology Components in India.

The main objective of the scheme includes overcoming cost disabilities, creating economies of scale and building a robust supply chain in areas of Advanced Automotive Technology products.

- o) IFCI has been appointed as PMA for **Production Linked Incentive (PLI) Scheme - National Programme on Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage by Ministry of Heavy Industry, Government of India**. The Scheme has tenure of 7 years, with an outlay of ₹18,100 crore. The scheme envisages setting up of a cumulative ACC manufacturing capacity of fifty (50) GWh for ACCs. Incentives will be offered only to those firms that have been allocated ACC production capacity under the Program through a transparent mechanism by inviting the Request for Proposal (RFP). The beneficiary firm will have to commit to set up minimum of five (5) GWh of ACCs manufacturing facility. The total annual cash subsidy to be disbursed by the Government will be capped at 20GWh per beneficiary firm. The selected beneficiary firm has to set up the manufacturing facility as allocated to it under the RFP within a period of 2 years and the subsidy will be disbursed thereafter over a period of 5 years. Through this Scheme, the Government of India intends to optimally incentivize potential investors, both domestic and overseas, to set-up Giga-scale ACC manufacturing facilities with emphasis on maximum value addition and quality output and achieving pre committed capacity level within a pre-defined time-period.

- p) IFCI Ltd. has also been appointed by **Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) of Ministry of Commerce and Industries (MoCI)**



LIMITED

आई एफ सी आई लिमिटेड

(A Government of India Undertaking)

(भारत सरकार का उपक्रम)

- to act as the Project Management Agency (PMA) for Production Linked Incentive Scheme (PLI) for Promoting Domestic Manufacturing of White Goods (Air Conditioners and LED Lights)**, aimed at providing financial incentive to boost domestic manufacturing and to attract large investments in the White Goods manufacturing value chain. Its prime objectives include removing sectoral disabilities, creating economies of scale, enhancing exports, creating a robust component ecosystem and employment generation. The Scheme has an outlay of ₹6,238 crore and shall extend incentive of 4% to 6% on incremental sales (over base year) of eligible goods manufactured in India.
- q) IFCI Ltd. has also been appointed by **National Skill Development Fund (NSDF), Ministry of Skill Development & Entrepreneurship to act as an Independent Monitoring Agency in NSDF to monitor the activities undertaken by National Skill Development Corporation (NSDC)**, aimed at ensuring that the activities of NSDC are aligned with the objectives of NSDF and are consistent with the provisions of Investment Management Agreement (IMA) between NSDF and NSDC, the Trust Deed and RBI regulations on Non-Banking Financial Company.
- r) IFCI has been appointed as the **Project Management Agency (PMA) for the PM E-Drive Scheme**, a Government of India initiative aimed at accelerating the adoption of electric mobility across the country. The scheme has a total outlay of ₹10,900 crore and focuses on promoting the adoption of electric vehicles (EVs) through demand incentives and supporting infrastructure development. Its key objective is to reduce vehicular emissions, enhance energy efficiency, and strengthen domestic manufacturing under the broader vision of sustainable and green mobility. The scheme primarily covers segments such as electric two-wheelers, three-wheelers, passenger vehicles, commercial vehicles, and the development of EV charging infrastructure.
- s) IFCI has been appointed as PMA for **the Scheme for Promotion of EV Cars (SMEC) is a targeted initiative of the Government of India, implemented by the Ministry of Heavy Industries, aimed at accelerating the adoption of electric passenger vehicles in the country**. With a focused outlay (as notified), the scheme is designed to provide demand incentives and policy support to boost the uptake of electric cars, particularly in the private and fleet segments. The primary objective of SMEC is to reduce carbon emissions, decrease dependence on fossil fuels, and promote sustainable urban mobility while encouraging domestic manufacturing under the "Make in India" initiative. The scheme broadly covers segments such as private electric cars, fleet operators (including taxis), and associated charging infrastructure to ensure a comprehensive ecosystem for EV adoption.
- t) **The Scheme to Promote Manufacturing of Sintered Rare Earth Permanent Magnets (REPM) is a strategic initiative of the Government of India,**



आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

implemented by the Ministry of Heavy Industries, with IFCI acting as the Project Management Agency (PMA). With a total financial outlay of ₹7,280 crore, the scheme aims to establish an integrated domestic manufacturing ecosystem for rare earth permanent magnets with a capacity of 6,000 MTPA, covering the entire value chain from rare-earth oxides to finished magnets. The primary objective is to enhance self-reliance in critical materials, reduce import dependence, and strengthen supply chains for key sectors such as electric mobility, renewable energy, electronics, aerospace, and defence. The scheme broadly covers segments including raw material processing, alloy and magnet manufacturing, and end-use applications, thereby positioning India as a competitive player in the global advanced materials ecosystem while supporting long-term industrial and sustainability goals.

- u) **IFCI has been selected as the Project Management Agency (PMA) for a scheme of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), namely the India Semiconductor Mission (ISM).** The mission comprises key schemes including the Semiconductor Fab Scheme, Display Fab Scheme, and Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP)/Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) Scheme. The objective of ISM is to develop a robust semiconductor and display manufacturing ecosystem in India, reduce import dependence, and position the country as a global hub for electronics manufacturing.
- v) **IFCI has been selected as the Project Management Agency (PMA) for the Karnataka Industry-Linked Technology Support (KITS) Scheme of the Government of Karnataka.** The scheme aims to promote industry–academia collaboration by supporting technology development, innovation, and commercialization of research outcomes, thereby strengthening the state’s industrial ecosystem and enhancing competitiveness.
- IFCI has played a pivotal role in institutional development and promoted various organizations viz. Tourism Finance Corporation of India (TFCI), Assets Care & Reconstruction Enterprise Ltd (ACRE), Infrastructure Development Finance Company Limited (IDFC), Power Trading Corporation of India Ltd. (PTC), Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL), GIC Housing Finance Ltd, Securities Trading Corporation of India Limited (STCI), North Eastern Development Finance Corporation Ltd (NEDFi), The OTC Exchange Of India (OTCEI), ICRA Ltd. (formerly known as Investment Information and Credit Rating Agency of India Limited (IICRA India)), National Stock Exchange (NSE), Stock Holding Corporation of India Limited (SHCIL), Technical Consultancy Organizations (TCOs) and social sector institutions like Rashtriya Gramin Vikas Nidhi (RGVN), Management Development Institute (MDI) and Institute of Leadership Development (ILD).
- Diversified activities through subsidiaries and associates into infrastructure development in the form of residential and commercial space, broking, venture capital, financial advisory, stock broking, depository services and factoring, etc.



LIMITED

आई एफ सी आई लिमिटेड

(A Government of India Undertaking)

(भारत सरकार का उपक्रम)

Subsidiaries

IFCI has the following six subsidiaries: -

1. Stock Holding Corporation of India Ltd. (SHCIL)
2. IFCI Infrastructure Development Ltd. (IIDL)
3. IFCI Venture Capital Fund Ltd. (IVCF)
4. IFCI Factors Ltd. (IFL)
5. IFCI Financial Services Ltd. (IFIN)
6. MPCON Ltd.

Step Down Subsidiaries

Seven step down subsidiaries incorporated under Companies Act, 1956 include:

1. IIDL Realtors Pvt. Ltd.
2. IFIN Securities Finance Limited
3. IFIN Commodities Limited
4. IFIN Credit Limited
5. SHCIL Services Limited
6. StockHolding Document Management Services Limited
7. StockHolding Securities IFSC Limited

Associates

IFCI has one Associate company, viz. KITCO Ltd. which is a Technical Consultancy Organization, incorporated under the Companies Act, 1956.

Besides the above, Government of India has entrusted the responsibility of management of various fund schemes viz., Venture Capital Fund for Scheduled Castes (VCFSC) including Ambedkar Social Innovation & Incubation Mission (ASIIM), Venture Capital Fund for Backward Classes (VCFBC), Senior Care Growth Engine (SAGE Fund) by Ministry of Social Justice & Empowerment and Venture Capital Fund for Scheduled Tribes (VCFST) by Ministry of Tribal Affairs, Govt of India. These fund schemes are being managed by a Subsidiary of IFCI Ltd. viz. IFCI Venture Capital Funds Ltd. The funds viz., VCFSC including ASIIM, VCFBC and VCFST being an Alternate Investment Fund, come with an aim to promote entrepreneurship among the Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST) and Backward Classes (BC) and to provide concessional finance to them, whereas, Senior Care Growth Engine (SGAE Fund) comes with an objective of supporting budding entrepreneurs working in elderly care sector and applicable to all segments of society.

Currently, the total Corpus under VCFSC fund (as on 17.03.2026), is ₹672.13 crore, out of which IFCI's share is ₹34.09 crore and balance share of ₹638.04 is by Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt of India.

The total corpus under Venture Capital Fund for Backward Classes (VCFBC) (as on 17.03.2026), is ₹200 crore, out of which, IFCI Venture has provided ₹10 crore and balance



LIMITED

आई एफ सी आई लिमिटेड

(A Government of India Undertaking)

(भारत सरकार का उपक्रम)

₹190 crore has been provided by Ministry of Social Justice and Empowerment (MoSJE), Government of India (GoI) (total corpus includes ₹ 21.31 crore of contribution through pooling of interest).

In SAGE Fund, the current corpus (as on 17.03.2026), is ₹21.52 Crore, out of which IFCI Infrastructure Development Ltd has provided ₹1 crore, IFCI Venture has provided ₹ 52.50 lakh while the remaining amount of ₹20 crore has been provided by Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt of India.

The present corpus of Venture Capital Fund for Scheduled Tribes (VCFST) (as on 17.03.2026), is ₹21.52 crore, out of which, TRIFED has provided ₹1 crore, IFCI Venture has provided ₹0.52 crore while the remaining amount ₹20 crore has been provided by Ministry of Tribal Affairs, Govt of India.

Details of IFCI's Products and Services are available on our website www.ifcilttd.com.

7. Our Customers

Corporates spanning across varied industries /sectors, including infrastructure, manufacturing, services, real estate, agro-based and other diversified sectors.

8. What we expect from our Customers

- To be honest in declaration and submission of information, as and when required.
- To help comply with the stipulated regulatory requirements under Know Your Customer and Anti Money Laundering (AML) guidelines.
- To utilize the loans/financial assistance only for the purpose they have been provided for.
- To be sincere in abiding by the terms and conditions of the financial assistance provided.
- To place grievances, if any, through our Grievance Redressal System, placed on our website, for being addressed by us.
- To provide valuable feedback on our services to enable us to continuously improve and embark upon new initiatives.

9. Code of Ethics

- To provide services in a professional, efficient, and courteous manner;
- Not to discriminate on the basis of religion, caste, sex, descent or any of them;
- To be fair and honest in advertisement and marketing of our Products;
- To attempt in good faith to resolve any disputes or differences with customers by setting up Grievances Redressal Cell within the organization;
- To comply with all the regulatory requirements in good faith.

10. Grievances Redressal System (GRS)

IFCI has provided for online registration of complaints on its website. Any anonymous complaints will however, not be entertained.

The Online Grievance System provides access to its customers, investors, employees (both present and former) for registering the complaint, tracking complaint status and receiving response from IFCI Ltd.

For Citizens' Charter of IFCI's Subsidiary Companies and Associate Companies, please refer to their respective websites as per details provided below:

Subsidiaries-

1. Stock Holding Corporation of India Ltd. (SHCIL) - www.shcil.com
2. IFCI Infrastructure Development Limited (IIDL) - www.iidindia.com
3. IFCI Venture Capital Funds Ltd. (IVCF) - www.ifciventure.com
4. IFCI Factors Limited (IFL) - www.ifcifactors.com
5. IFCI Financial Services Limited (IFIN) - www.ifinltd.in
6. MPCON Limited - www.mpconsultancy.org

Associates -

1. KITCO Ltd. – www.kitco.in

Investor Grievance Mechanism:

- a) For any grievance related to IFCI's equity shares, the investors are advised to approach the Registrar and Share Transfer Agent (R&STA), by quoting their Folio No./DP & Client Id, for physical and demat holding respectively:-

MCS Share Transfer Agent Ltd.
179-180, 3rd Floor,
DSIDC Shed, Okhla Industrial Area, Phase-I,
New Delhi 110 020
Telephone nos. : 011-41406149, 50 & 51
Email id : helpdeskdelhi@mcsregistrars.com

In the event of unsatisfactory resolution, the shareholders are requested to approach the Nodal Officer, who shall address the grievance within 7 Business Days:

Nodal Officer
Ms. Sharmila Chhikara, Deputy General Manager, Investor
Grievance Cell for Equity Shares, IFCI Ltd.
IFCI Tower, 61 Nehru Place,
New Delhi – 110 019
Email : secretarial@ifcilt.com;

The Grievance would be acknowledged within 3 Business Days. In the event of grievance not being resolved within 7 Business days, the investors may contact the Designated Compliance Officer, as under:

Ms. Priyanka Sharma, Company Secretary & General Manager
Email : complianceofficer@ifcilt.com

b) **For any grievance related to IFCI's bond/debenture holders**, the bonds/debenture holders are advised to approach the respective Registrars as per details given below :

Bond Series	Name of R&TA	Address	Contact Person	Contact Nos.	Website/ Email Id
Infra I & II	M/s Beetal Financial & Computer Services (p) Ltd	BEETAL House, 3rd Floor 99 Madangir, Behind LSC, Near Data Harsukhadas Mandir New Delhi-110062	Shri S P Gupta/ Shri Sanjay Rastogi	011-42959000-009 011-29961281-283 extn 17/28	www.beetal.in ifci@beetalfinancial.com spgupta123@gmail.com ifcibonds5@gmail.com
Infra III, IV, V and IFCI NCDs Tranches I & II	KFin Technologies Private limited	Selenium Tower B, Plot No. 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguds, Serilingampally, Hyderabad -500032	Shri Umesh Pandey/Raj Kumar M. Chabbria/ Logiseti Harsha Kiran	040-67162222	umesh.pandey@kfintech.com einward.ris@kfintech.com rajkumar.chabbria@kfintech.com www.kfintech.com logiseti.harsha@kfintech.com
Subordinate Bonds Series I & III	MUFG Intime India Private Limited	C-101, 247 Park L.B.S Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083	Shri Dhanaji Jhondhale/ Shri Ajit Patankar	022-49186000 /8108116767	bonds.helpdesk@in.mpms.mufg.com www.in.mpms.mufg.com team.bonds@in.mpms.mufg.com ghanaji.jondhale@in.mpms.mufg.com ajit.patankar@in.mpms.mufg.com
Family Bonds	MCS Share Transfer Agent ltd	179-180, 3 rd Floor, DSIDC Shed, Okhla Industrial Area, Phase –I, New Delhi-110020	Shri BMS Negi/ Shri Narender Negi	011-41406149 /50/51	bondsreply@mcsregistrars.com helpdeskdelhi@mcsregistrars.com bonds@mcsregistrars.com ajay@mcsregistrars.com

In the event of non-satisfactory resolution, the bond/debenture holders are requested to approach the following Nodal Officers, who shall address the grievance within 7 Business Days:



आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

Bonds-wise Details of Nodal Officers in IFCI are as under:

- In respect of ***Infra Bonds, Public NCDS, Tier II Bonds (Subordinate) (Series I & III) and Family Bonds.***
 - Smt. Meghna Verma, AGM
 - Shri. Ashutosh Verma, Manager
Email: infrabonds@ifcilt.com, ifcublicissue@ifcilt.com,
ifcitier2bonds@ifcilt.com and familybonds@ifcilt.com

- In respect of other Private Placement Bonds and Tier II Bonds (Series II, IV & V):
 - Shri. Ashutosh Verma, Manager
 - Email: ppbonds@ifcilt.com

The Grievance would be acknowledged within 3 Business Days. In the event of grievance not being resolved within 7 Business days, the investors may contact the Bonds Compliance Officer, as under:

Ms. Shikha Gupta, DGM
Email : bondscomplianceofficer@ifcilt.com

11. Right to Information Act 2005:

In IFCI, Central Public Information Officer (CPIO) / Central Assistant Public Information Officers (CAPIO) and Appellate Authority have been nominated to deal with applications received under Right to Information (RTI) Act. Information is provided to the applicants within the prescribed time limit. The applicants, who are not satisfied with the information provided, or have not received the information in time, can prefer appeal before the Appellate Authorities within the prescribed time schedule. The names and other requisite details regarding the CPIO/CAPIO's and Appellate Authority are posted on the website of IFCI and updated as and when any changes are made.

Our Address

IFCI Ltd.
IFCI Tower
61 Nehru Place
New Delhi - 110019
Website : www.ifcilt.com
Telephone : +91-11-41792800, 41732000, 26487444
Fax No. : +91-11-26230201



LIMITED

आई एफ सी आई लिमिटेड
(A Government of India Undertaking)
(भारत सरकार का उपक्रम)

IFCI has regional offices at the following locations: -

IFCI Hyderabad Office Taramandal Complex, (8th Floor), 5-9-13, Saifabad, Hyderabad, PIN - 500 004 Telephone : 040-23243505/06 Fax : 040-23241138	IFCI Kolkata Office DB 3 Sector 1 Salt Lake Bidhannagar Kolkata, PIN – 700 064 Telephone : +91 97484 21347
IFCI Mumbai Office Unit No. 307/314, 3 rd Floor Trade World, C- Wing Kamala Mills Compound, Lower Parel (W) Mumbai, PIN – 400 013. Telephone : 022-6129 3400	
